प्रस्तावना

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 व उसके तहत बनाये गए विनियमनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गए सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टेड अकाउंटेंट) ऐसी कंपनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं, जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जानी हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर टिप्पणियां अथवा अनुपूरक जारी करते है। कंपनी अधिनियम, 2013 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीके के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी करने के अधिकार देता है।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हिमाचल पथ परिवहन निगम नाम के एक निगम के सम्बन्ध में एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 37(1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से, कंपनी के अंशधारकों (शेयरहोल्डर्स) द्वारा नियुक्त किये गए लेखापरीक्षकों द्वारा निगम की सांविधिक लेखापरीक्षा के पश्चात् अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त है। राज्य सरकार को इन निगमों के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग-अलग अग्रेषित किये जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के समीक्षा किये गए लेखाओं में वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लेखाओं को (अधिकतम सीमा तक प्राप्त) सम्मिलित किया गया है। राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में, जहां किसी वर्ष विशेष के लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए, वहां अन्तिम लेखापरीक्षित लेखाओं से आंकड़े लिए गए हैं।

4. इस प्रतिवेदन में संदर्भित सभी 'सरकारी कंपनियों/निगमों अथवा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' को, जब तक अन्य का सन्दर्भ न लिया जाएं, 'राज्य सरकार की कंपनियां/निगम' समझा जाएं।